


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22-4-21

पञ्जाबली सेथ हुई वमील पार्थी उएं.
पार्थीना पत्र से सम्बन्धित मूल कांड
का निर्धारण हो जाने से पार्थीना
पत्र का कोई उद्देश्य नहीं रह
जाता है अतः पार्थीना-पत्र खारिज किया
जाता है पञ्जाबली फैसल शुभार होकर
दाखिल दफतर है।


अधिवक्ता
गान्धी (द्वारा)

